उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1,
संख्या-70/2016/4079/92-1-16-148(अधि0)/2016,
लखनऊ: दिनांक: 14 दिसम्बर: 2016

कार्यालय-ज्ञाप

रिट याचिका संख्या-19476/2016 हसनैन अहमद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-8-2016 एवं 27-9-2016 तथा अवमाननावाद संख्या-1980/2016 हसनैन अहमद बनाम श्री सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 26-10-2016 एवं 29-11-2016 को पारित आदेशों के समादर में कार्यालय ज्ञाप संख्या-68/2016/3536/92-1-2016-148(अधि0)/2016, दिनांक 21-11-2016 द्वारा श्री हसनैन अहमद, अधिशासी अभियंता का ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सहारनपुर में किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करते हुए, श्री हसनैन अहमद, अधिशासी अभियंता को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलन्दशहर के पद पर यथावत् एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

बाबू राम
संयुक्त सचिव।

संख्या-70/2016/4079(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।
2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
8- श्री हसनैन अहमद, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in